दिनांकः 18 दिसंबर 2025

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

निम्नलिखित संयुक्त बयान केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच, एनसीसीओईईई (NCCOEEE) एवं संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) द्वारा प्रेस के लिए जारी किया जा रहा है।

एनसीसीओईईई, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का मंच तथा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) 23 दिसंबर 2025 को सभी कार्यस्थलों/गांवों में तानाशाही परमाणु विधेयक के विरोध में प्रदर्शन आयोजित करेंगे

जैसा कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE), केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच तथा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आशंका व्यक्त की थी, केंद्र सरकार ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश कर दिया है। यह विधेयक भारत की सावधानीपूर्वक निर्मित परमाणु सुरक्षा और जवाबदेही व्यवस्था को ध्वस्त करता है तथा सबसे अधिक जोखिम वाले ऊर्जा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी भागीदारी के लिए खोल देता है।

मौजूदा परमाणु ऊर्जा अधिनियम नागरिक परमाणु गतिविधियों पर उनके रणनीतिक और विनाशकारी जोखिमों के कारण कड़ा सार्वजनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता था। शांति विधेयक इसे लाभ–आधारित लाइसेंसिंग व्यवस्था से प्रतिस्थापित करता है, जिससे परमाणु मूल्य श्रृंखला के बड़े हिस्से निजी संचालकों के लिए खोल दिए जाते हैं। यह परमाणु संचालन के निजीकरण की दिशा में एक निर्णायक बदलाव है, जबकि इसके सभी जोखिमों का बोझ जनता और देश पर डाल दिया जाता है।

सीएलएनडी अधिनियम को निरस्त कर यह विधेयक रिएक्टर आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ संचालक के वैधानिक प्रत्यावर्तन (रिकोर्स) अधिकार को समाप्त कर देता है, जिससे दोषपूर्ण डिज़ाइन या उपकरणों के लिए निजी निर्माताओं को दायित्व से संरक्षण मिल जाता है। परिणामस्वरूप, परमाणु दुर्घटनाओं का वित्तीय बोझ मुनाफाखोर कंपनियों से हटकर पीड़ितों और राज्य पर डाल दिया जाता है।

सीएलएनडी अधिनियम के लागू होने के बाद से बहुराष्ट्रीय रिएक्टर आपूर्तिकर्ताओं ने आपूर्तिकर्ता दायित्व का हवाला देते हुए भारत में निवेश से इनकार किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार–बार भारत पर इस कानून में संशोधन का दबाव बनाया है, और मोदी सरकार ने अब प्रभावी रूप से उस दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। प्रति घटना 1,500 करोड़ रुपये की मौजूदा दायित्व सीमा, तथा सरकार द्वारा अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपये की संभावित सहायता, 2008 के भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के तहत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को समायोजित करने के लिए किया गया एक राजनीतिक समझौता था। फुकुशिमा जैसी आपदाओं के बावजूद, जिनकी लागत 200 अरब डॉलर से अधिक रही, अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता अब भी कुल प्रतिरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसमें दायित्व को संकीर्ण मौद्रिक और समय–सीमाओं के भीतर केवल संचालकों तक सीमित किया जाए।

पेज 2 पर जारी...

एनसीसीओईईई, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का मंच तथा एसकेएम अपने सभी घटक संगठनों से आह्वान करते हैं कि वे इस तानाशाही परमाणु विधेयक के विरोध में 23 दिसंबर 2025 को सभी कार्यस्थलों/गांवों में प्रदर्शन आयोजित करें।

बिजली के निजीकरण तथा ड्राफ्ट बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 के खिलाफ एनसीसीओईईई, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच और एसकेएम का संयुक्त अभियान, विशाल कन्वेंशनों और रैलियों के साथ, जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में शांति विधेयक की तत्काल वापसी के अतिरिक्त निम्नलिखित मांगें उठाई जाएंगी–

- ड्राफ्ट बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 की तत्काल वापसी।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणु क्षति नागरिक दायित्व अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की तत्काल वापसी।
- प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना पर तत्काल रोक।
- उत्पादन, पारेषण और वितरण में सभी मौजूदा निजीकरण या फ्रेंचाइजी मॉडलों की वापसी, विशेषकर चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा में।
- उत्तर प्रदेश में पीवीवीएनएल और डीवीवीएनएल के निजीकरण के प्रयासों को तत्काल बंद किया जाए।
- क्रॉस–सब्सिडी और सार्वभौमिक सेवा दायित्व को बनाए रखना; किसानों तथा उपभोक्ताओं के सभी वर्गों के लिए बिजली के अधिकार की रक्षा।
- देशभर में बिजली दरों को कम करने के लिए ठोस कदम सुनिश्चित करना।

हम शांति विधेयक की तत्काल वापसी की मांग करते हैं। हम कड़े दायित्व प्रावधानों की बहाली, जिसमें संचालक का प्रत्यावर्तन अधिकार शामिल होय एक वास्तव में स्वतंत्र परमाणु नियामक प्राधिकरण की स्थापनाय पर्यावरणीय और श्रम सुरक्षा को मजबूत करने; तथा परमाणु गतिविधियों के विदेशी सहभागिता और रणनीतिक पहलुओं पर स्पष्ट संसदीय नियंत्रण की मांग करते हैं।

जारीकर्ता,

एनसीसीओईईई **संयुक्त किसान मोर्चा** **केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच**

सुदीप दत्ता
संयोजक, एनसीसीओईईई
मो. नं. – 8918372750
ई–मेलः nccoeee2000@gmail.com